संख्या-1546/2025/2244/22-2-2024-17(822)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मो0 रफीक पुत्र श्री रमजान, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-38619/प्रो0अनु0(2)-246/2023/(एम0एम0-16.03.2023), दिनांक 18.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मो0 रफीक पुत्र श्री रमजान, 80/48 कुली बाजार, थाना-अनवरगंज, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। रफीक मोहल्ले के रईस पुत्र मो0 सईद की साली को छेड़ता था तो रईस ने इसका विरोध किया। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 22-05-2006 को समय 12:00 बजे दिन में रईस नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-806/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.09.2024 तक 18 वर्ष, 03 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 14.09.2024 तक बंदी की आयु 39 वर्ष है।

अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम के कारण कारागार में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत सघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 26-11-2022 में बंदी द्वारा कारित किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में उपरोक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में सिद्धदोष के दण्डादेश का निलम्बन या परिहार किया जाना उचित नही है की आख्या का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि रफीक मोहल्ले के रईस पुत्र मो0 सईद की साली को छेड़ता था तो रईस ने इसका विरोध किया। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 22-05-2006 को समय 12:00 बजे दिन में रईस नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिस कारण अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो0 रफीक पुत्र रमजान को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मो0 रफीक (बन्दी संख्या-28353) पुत्र श्री रमजान, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1546/2025/2244(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।